

विभाग नं. 11  
 फाई अहकाम

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बनाम.....

किसम मुकदमा..... नं. .... सन्. ....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की सामील में जारी हुए
26/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत को बकील श्री ... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ... राजस्थान काश्तकारी/भू रक्षण अधिनियम को अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेसोर्टेंट जरिये नोटिस/सम्मान तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ... को पेश हो।	
19/03/19	प्रार्थी बकील उपरिमत/अप्रार्थीगणों के नोटिस सामिल कुछा आत जिये अपील पत्रावली पेश ग्या। सीमान पीठमीन इतिहासी चुवाक कार्य के लक्ष्य होने के मिशाल इतिहास गेहर अगामी दिनांक 09/05/19 को पेश हो।	
09/05/19	प्रार्थी बकील उपरिमत/अप्रार्थीगण वाकचुड सामिल उपरिमत/अप्रार्थीगण समय तीन वाद अवाज अगारि गई अन्तिम अवाज 5:45 PM पर अगारि गई अप्रार्थीगण हुकम या इन्की कोर के कोर अतिवक्त उपरिमत नही कुछा विडवा इन्के विरुद्ध एडवकाट कार्यवाही अगारि	

में लाई जाती है। प्राथी अधिवक्ता की एडवोकेट  
कहाल सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता के कलाम  
की कलाम के समय प्राथी के अधिवक्ताओं के  
मध्य लेगे को लेकर आपस में विवाद रहल  
है। इसलिए प्राथी के अपने खातेदारी खेती के  
न्यायो कौर पक्के नियम त्थापित करवाना प्रति  
आवश्यक है। विशेषक इसलिए प्राथी का नियम-  
वनी आवेदन स्वीकार हीमा जाकर नियमवनी  
आवेदा हीमा जाके।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन  
पर प्राथी का नियमवनी आवेदन स्वीकार हीमा  
जाकर तटलीलदार कामड को उमिशानर नियुक्त  
हीमा जाल है व आवेदा हीमा जाल है कि  
आप स्वयं या अपने अधिवक्ता हीमी भी भू-  
अभिलेख निरिस्त से प्राथी के खातेदारी खेती की  
पक्की नियमवनी मोडे पर उमिशानर शुल्ड जमा-  
कराकर करे, फालना रिपोर्ट जल होने पर कामिल  
पभावली है, पभावली फेसल शुमा है, डज नम्बर  
से कम है, दायिल दायल है।

सुपसण्ड अधिकारी बायलु  
जिला - बाड़मेर

क्रमांक / रा.आवे. / 2019 / 205

दिनांक:- 09/05/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट वगैरा 2  
निवासी लीलासर कोलू  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. खुमाराम पुत्र वागाराम वगैरा 13  
निवासी निवासी लीलासर कोलू  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या / 19

**आदेश**

मौजा लीलासर पटवार हल्का कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 604, 605, 613, 806/605 रकबा 0.05, 10.00, 34.17, 25.00 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा / बायतु / नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर  
09.5.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 09/05/19



क्रमांक / रा.आवे. / 2019 / 206 - 210

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री खुमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर  
09.5.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु